



ANTYODAYA-SARAL



Housing Board

Transfer of property in case of death (uncontested) (Service)

DOCUMENTS REQUIRED:

Document Required When Allottee has a Will:-

1. At the time of online submission:-

- Affidavit by Transferee
- Indemnity Bond by Transferee
- Allotment Letter (Attested Copy)
- Death Certificate/Attested Copy of Death Certificate
- Identity Proof of Transferee (Any one of the following): Ration Card, Voter Card, Driving License
- Original WILL/Certified copy of WILL
- Affidavit/Death Certificate of Witness 1 who is Witness in WILL
- Affidavit/Death Certificate of Witness 2 who is Witness in WILL
- Identity Proof of Witness 1 who is Witness in Will (Any one of the following): Ration Card, Voter Card, Driving License
- Identity Proof of Witness 2 who is Witness in Will (Any one of the following): Ration Card, Voter Card, Driving License

2. At the time of personal appearance the following original documents are required when Allottee have a Will:

- All the above mentioned documents in point 1 that attached during the time of submission.
- After documents verification Estate office will provide public notice to citizen to publish in National Newspaper (Hindi/English) and after publication, citizen will submit the published copy with the date in the Estate office and further work will start after 30 days of publication date. If there is no objection in 30 days, transfer will be done.

Document Required When Allottee does not have a Will:-

1. At the time of online Submission:

- Affidavit by Transferee
- Indemnity Bond by Transferee
- Affidavit by All Legal Heirs
- Indemnity Bond by 2 Independent Persons
- Allotment Letter (Attested Copy)



ANTYODAYA-SARAL



- Death Certificate/Attested Copy of Death Certificate
- Identity Proof of Transferee (Any one of the following): Ration Card, Voter Card, Driving License
- ID Proof of Independent Person 1
- ID Proof of Independent Person 2
- Identity Proof of All Legal Heirs (Any one of the following): Ration Card, Voter Card, Driving License

2. At the time of personal appearance the following original documents are required when Allottee have a Will:

- All the above mentioned documents in point 1 that attached during the time of submission.
- After documents verification Estate office will provide public notice to citizen to publish in National Newspaper (Hindi/English) and after publication, citizen will submit the published copy with the date in the Estate office and further work will start after 30 days of publication date. If there is no objection in 30 days, transfer will be done.

FEES FOR THE SERVICE:

Govt. Charges	Kendra Service Charges	Atal Seva Kendra (CSC) Service Charges
Allottee Has a Will - Rs. 1000 + GST (18%) = Rs. 1180 (LIG, HIG, MIG, EWS, Others, Commercial)		
Allottee Doesn't Have a Will - Rs. 500 + GST (18%) = Rs. 590 (LIG, MIG, EWS) Rs. 5000 + GST (18%) = Rs. 5900 (HIG & Others) Rs. 10000+ GST (18%) = Rs. 11800 (Commercial)	Rs. 50/-	Rs. 50/-

RTS TIME LIMIT: 45 Days



अंत्योदय—सरल



आवास बोर्ड

मृत्यु के मामले में सम्पत्ति का अन्तरण (सेवा)

आवश्यक दस्तावेज :

आवश्यक दस्तावेज जब आबंटिती की वसीयत हो :-

1. ऑनलाइन निवेदन करते समय :
 - अन्तरिती से शपथ—पत्र।
 - अन्तरिती से क्षतिपूर्ति बंधपत्र।
 - आबंटन पत्र (सत्यापित प्रति)।
 - मृत्यु प्रमाण—पत्र/मृत्यु प्रमाण—पत्र की सत्यापित प्रति।
 - अन्तरिती की पहचान का सबूत (निम्नलिखित में से कोई एक) : राशन कार्ड, मतदाता पहचान—पत्र, चालन अनुज्ञप्ति।
 - मूल वसीयत/वसीयत की सत्यापित प्रति।
 - साक्षी—1 का शपथ—पत्र/मृत्यु प्रमाण—पत्र, जो वसीयत में साक्षी है।
 - साक्षी—2 का शपथ—पत्र/मृत्यु प्रमाण—पत्र, जो वसीयत में साक्षी है।
 - साक्षी—1 की पहचान का सबूत, जो वसीयत में साक्षी है (निम्नलिखित में से कोई एक) : राशन कार्ड, मतदाता पहचान—पत्र, चालन अनुज्ञप्ति।
 - साक्षी—2 की पहचान का सबूत, जो वसीयत में साक्षी है (निम्नलिखित में से कोई एक) : राशन कार्ड, मतदाता पहचान—पत्र, चालन अनुज्ञप्ति।
2. व्यक्तिगत रूप में उपस्थिति के समय पर निम्नलिखित मूल दस्तावेज आवश्यक हैं, जब आबंटिती की वसीयत हो :



अंत्योदय—सरल



- बिन्दु-1 में वर्णित उपरोक्त सभी दस्तावेज जो निवेदन करने के दौरान संलग्न किए गए हैं।
- दस्तावेजों के सत्यापन के बाद, सम्पदा कार्यालय राष्ट्रीय समाचार-पत्र (हिन्दी/अंग्रेजी) में प्रकाशित सार्वजनिक सूचना नागरिकों को उपलब्ध करवाएगा और प्रकाशन के बाद, नागरिक, सम्पदा कार्यालय में तिथि सहित प्रकाशित प्रति प्रस्तुत करेंगे और आगामी कार्यवाही प्रकाशन की तिथि के 30 दिन के बाद आरम्भ की जाएगी। यदि 30 दिन के भीतर कोई आक्षेप नहीं होता है, तो अन्तरण कर दिया जाएगा।

आवश्यक दस्तावेज जब आबंटिती की कोई वसीयत नहीं हो :-

1. ऑनलाइन निवदेन करते समय :
 - अन्तरिती से शपथ-पत्र।
 - अन्तरिती से क्षतिपूर्ति बंधपत्र।
 - सभी विधिक वारिसों से शपथ-पत्र।
 - दो स्वतन्त्र व्यक्तियों से क्षतिपूर्ति बंधपत्र।
 - आबंटन पत्र (सत्यापित प्रति)।
 - मृत्यु प्रमाण-पत्र/मृत्यु प्रमाण-पत्र की सत्यापित प्रति।
 - अन्तरिती की पहचान का सबूत (निम्नलिखित में से कोई एक) : राशन कार्ड, मतदाता पहचान-पत्र, चालन अनुज्ञप्ति।
 - स्वतन्त्र व्यक्ति-1 की पहचान का सबूत।
 - स्वतन्त्र व्यक्ति-2 की पहचान का सबूत।
 - सभी विधिक वारिसों की पहचान का सबूत (निम्नलिखित में से कोई एक): राशन कार्ड, मतदाता पहचान-पत्र, चालन अनुज्ञप्ति।
2. व्यक्तिगत रूप में उपस्थिति के समय पर, निम्नलिखित मूल दस्तावेज आवश्यक हैं, जब आबंटिती की वसीयत हो :



अंत्योदय—सरल



- बिन्दु-1 में वर्णित उपरोक्त सभी दस्तावेज जो निवेदन करने के दौरान संलग्न किए गए हैं।
- दस्तावेजों के सत्यापन के बाद, सम्पदा कार्यालय राष्ट्रीय समाचार-पत्र (हिन्दी/अंग्रेजी) में प्रकाशित सार्वजनिक सूचना नागरिकों को उपलब्ध करवाएगा और प्रकाशन के बाद, नागरिक, सम्पदा कार्यालय में तिथि सहित प्रकाशित प्रति प्रस्तुत करेंगे और आगामी कार्यवाही प्रकाशन की तिथि के 30 दिन के बाद आरम्भ की जाएगी। यदि 30 दिन के भीतर कोई आक्षेप नहीं होता है, तो अन्तरण कर दिया जाएगा।

सेवा के लिए फीसें :

सरकारी प्रभार	सेवा प्रभार	अटल सेवा केन्द्र सेवा प्रभार
आबंटिती की वसीयत है :- रु0 1000 + जी.एस.टी. (18%) = रु0 1180 /- (एल.आई.जी., एच.आई.जी., एम.आई.जी., ई.डब्ल्यू.एस. , अन्य, वाणिज्यिक) आबंटिती की वसीयत नहीं है :- रु0 500 + जी.एस.टी. (18%) = रु0 590 /- (एल.आई.जी., एम.आई.जी., ई.डब्ल्यू.एस.) रु0 5000 + जी.एस.टी. (18%) = रु0 5900 /- (एच.आई.जी. तथा अन्य) रु0 10000 + जी.एस.टी. (18%) = रु0 11800 /- (वाणिज्यिक)	रु0 50 /-	रु0 50 /-

सेवा का अधिकार समय सीमा : 45 दिन।